

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील बिलारी
आवेदन क्र० 211350030083835
प्रमाणपत्र क्र० 043213009891

जारी दिनांक: 24/08/2021

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

सुमेश कुमार
ठकुरी सिंह
रामकिशोरी
नरौदा
नरौदा
बिलारी
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की कुटुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सुमेश कुमार पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०५० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनदेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९९७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: संजीव कुमार, सहज जन सेवा केंद्र DHARMENDRA

पद: संजीव कुमार, केन्द्र प्रभारी

स्थान:

KHAJRA, बिलारी, खजुरा, मुरादाबाद जिला

दिनांक: 26/08/2021

हस्ताक्षर एवं मुहर



Digitally Signed by
DHARMENDRA
KUMAR SINGH
O-PANCHAYATI
RALL
O-PANCHAYATI
RALL, SHUTTAR
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

बिलारी, मुरादाबाद

दिनांक: 24/08/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० और प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, प्रमाणित किया जा सकता है।